बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०— स्था०1/आ०2—8/2017 50 पटना, दिनांक: 17-03-2020

**कार्यालय आदेश**

श्री निरंजन कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राघोपुर, वैशाली संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, वैशाली के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक—313 (नि०को०)/रा० दिनांक—30.03.2017 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक—179/स्था० दिनांक—20.02.2017 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०—306 सहपठित ज्ञापांक—1957 दिनांक—07.09.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम—17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), वैशाली को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जिला पदाधिकारी, वैशाली के ज्ञापांक—965/जि०स्था० दिनांक—29.11.2018 द्वारा अपर समाहर्त्ता, वैशाली को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया जिसे निदेशालय के का०आ०सं०—18 सहपठित ज्ञापांक—126 दिनांक—24.01.2019 द्वारा संपुष्ट किया गया।

श्री निरंजन कुमार के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये हैं :—

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, हाजीपुर में दायर परिवाद संख्या— (1) 518210101071600184 श्री महेश पासवान बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (2)18210101071600185 श्री रामजी पासवान एवं अन्य बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (3)518210114071600224 श्रीमती रंजु देवी बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (4)51821011 3081600442 श्री जालेश्वर राय बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (5)518210111081600430 श्री विजय राय बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (6) 518210111081600028 श्री शत्रुघ्न राय बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (7)51821011108 1600424 श्री महेन्द्र दास बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (8)518210105081600416 श्री अरविन्द राय बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (9)41811011 9081600435 श्री अरूण राय बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (10) 418110111081600379 श्री महेन्द्र दास बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (11) 418110112091600638 श्री पुरेन्द्र सिंह बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (12) 418110115091600646 श्री हरिनंदन सिंह बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (13) 418110114091600643 श्री प्रमोद कुमार बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (14) 418110114091600645 श्री हिमांशु कुमार बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (15)518210109121600807 श्री जयकुल राय उर्फ जयकृष्ण राय बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (16) 518210118101600676 श्री देव कुमार सिंह बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (17) 518210120101600682 श्रीमती कैलाशी देवी बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (18) 518210 109121600808 श्रीमती गनिता देव बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (19)518210 109121600809 मु० सोना देवी बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर, (20) 518210109121600806 श्री रघुनाथ साह बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (21) 518210109121600805 श्री राम प्रवेश राय बनाम

*0160 स्था0 1 (का0आ0) (13 मार्च 2020) निरंजन कुमार.*

अंचल अधिकारी, राघोपुर (22)518210109121600804 मु० जानकी देवी बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर (23) 418110122111600925 कामेश्वर दास बनाम अंचल अधिकारी, राघोपुर मे प्रतिवादी अंचल अधिकारी, राघोपुर द्वारा नोटिस,का तामिला प्राप्त करने एवं कई अवसर /तिथियों देने के बावजूद न तो कभी उपस्थित हुए और न ही कभी कोई प्रतिवेदन दाखिल किये जो उनकी कर्त्तव्यहीनता, लापरवाही एवं लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को महत्व नहीं देने का द्योतक है । इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।

2. संचालन पदाधिकारी—सह—अपर समाहर्त्ता, वैशाली के पत्रांक—1527/जिला मू०सु० दिनांक—28.09.2019 द्वारा श्री निरंजन कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने जॉच प्रतिवेदन में निम्न मंतव्य/निष्कर्ष दिया है :—

" आरोपी कर्मी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया है कि बाढ़ राहत कार्य एवं अन्य कार्यो में अतिव्यवस्तता तथा ससमय सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त वादों में उपस्थित नहीं हुए थे। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी—सह—जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली के द्वारा आरोप के बिन्दु पर आरोपी कर्मी श्री निरंजन कुमार के स्पष्टीकरण पर दिये गये मंतव्य में इन्हें उक्त आरोप से बचाने की कोशिश की गयी है। इस प्रकार आरोपी कर्मी श्री निरंजन कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राघोपुर संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, वैशाली से प्राप्त स्पष्टीकरण, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी—सह—जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली से प्राप्त मंतव्य के अनुसार आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित होता है।"

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम —18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित होता है, के प्रतिवेदन पर श्री निरंजन कुमार से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री निरंजन कुमार ने उल्लेख किया है कि :—

" 23 परिवादों में से 03 परिवाद अंचल कार्यालय, राघोपुर से संबंधित नहीं थे। शेष 20 परिवादों में उपस्थित होने संबंधी सूचना ससमय नहीं भेजी गयी। जिस वक्त ये परिवाद दायर किये गये थे उस वक्त राघोपुर अंचल में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ के उपरांत बाढ़ पीड़ितों को लाभ पहुँचाने संबंधित कार्य चल रहे थे। राघोपुर अंचल के प्रधान सहायक एवं दो अन्य कर्मी जिला में बाढ़ पीड़ितों की सूची का कम्प्युटरीकरण एवं उसके मिलान हेतु प्रतिनियुक्त थे। वे लगातार 2—3 महीने तक जिला समाहरणालय स्थित कम्प्युटर कक्ष में प्रतिनियुक्त थे। उन्हें भी उपरोक्त पत्र नहीं दिये गये। यदि समय समाप्ति के बाद कोई पत्र भेज दी जाती है तो उसमें उनकी गलती कहाँ है और समय समाप्ति के बाद भेजे गये पत्र में पहले की निर्धारित तारीख में कैसे उपस्थित हुआ जा सकता है।

उनके द्वारा सभी सरकारी कार्य निष्ठापूर्वक किए गए हैं। राघोपुर कठिन अंचल होते हुए भी वहाँ सभी सरकारी कार्यो को ससयम करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। अच्छे कार्यो के लिए जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा समय—समय पर प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यदि

समय पर सूचना दी गई होती तो वे अवश्य ही परिवादों के समय उपस्थित होते। परिवाद में पारित आदेशों का यथासंभव उनके द्वारा पालन किया गया।"

4. अपने अभ्यावेदन में श्री निरंजन कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रायः उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इनके द्वारा समर्पित अपने स्पष्टीकरण में संचालन पदाधिकारी को कहा गया है। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा कुल 23 वादों में उपस्थित होने हेतु अंचलाधिकारी, राघोपुर को नोटिस दिया गया । अंचलाधिकारी, राघोपुर द्वारा यह कहना कि नोटिस ससमय तामिल नहीं हुआ सत्य प्रतीत नहीं होता है। अतः संचालन पदाधिकारी के मत से सहमत होते हुए श्री निरंजन कुमार पर कर्त्तव्यहीनता का आरोप साबित होता है। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5. उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री निरंजन कुमार पर असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री निरंजन कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राघोपुर, वैशाली संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, वैशाली पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 में किये गये प्रावधानों के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह0/–
(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक:– स्था01/आ02–8/2017 520 पटना, दिनांक: 17.03.2020

प्रतिलिपि:–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना ।

2. विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई0टी0मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय मुख्यालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री निरंजन कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राघोपुर, वैशाली संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 17/03

0150 स्था0 1(का0आ0) (13 मार्च 2020) निरंजन कुमार.